

शुद्धीकरण 15

फर्द अहकाम

बनाम

जगदीश चण्ड

नाम न्यायालय **सपक्षण्ड अधिकारी**

केस संख्या | विराटनगर (जयपुर)

10/2017

प्रार्थना पत्र (आगत)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

2/12/17

वकील प्रार्थी उक्त पेटेन्ट एक्ट 30/11/17
 अर्थात् 30.1 की तारीख परीक्षा की
 गयी। बाद-बाद आज्ञा (आगत)
 गयी। कोर्ट उचित ही दुसरे उक्त
 इसके किन्तु एकपक्षीय कार्यवाही
 आज्ञा के लक्ष्य जारी है। पत्रावली
 वास्तु में आज्ञा प्रारम्भ दिनांक 11/11/17
 को प्रेषित है। तब तक पूर्व आदेश
 प्रभावी रहेगा।

सपक्षण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

11/11/17

वकील प्रार्थी उक्त पेटेन्ट
 एक्ट 30/11/17 के अन्तर्गत
 पत्र प्रेषित गयी। फावली का
 अपलोकित किया गया तथा
 प्रार्थना पत्र बाद अद्य मंगल
 ना फैसला मूल प्रार्थना पत्र
 Confirmation किया जाता है
 तथा इस न्यायालय का पूर्व
 आदेश दिनांक 23/11/17 को
 यथावत रखते हुए प्रार्थना पत्र
 स्वीकार किया जाता है। प्रकृत
 फैसला शुद्ध होकर अद्य 11/11/17
 को प्रेषित है। अतः मूल
 आज्ञा 2/12/17 दिनांक 11/11/17
 प्रभावी रहेगा।

सपक्षण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)